मार्ट योजना संचालित की जा रही है।

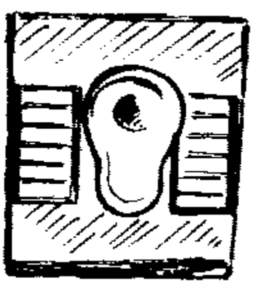

2. उद्देश्य : 1. ऐसे स्वच्छकार जो शुष्क शौचालयों में मैला, सफाई के कार्य में लगे हुए हैं, को उक्त पेशे से पूर्ण रूप से मुक्त कराया जाना। 2. ऐसे उपलब्ध स्वच्छकारों तथा उनके पात्र आश्रितों को स्वरोजगार का वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराया जाना। 3. ऐसा वातावरण तथा परिस्थिति तैयार करना जिससे इस अमानवीय पेशे की आवश्यकता ही न रह जाय एवं समाज में स्वच्छता के प्रति जागरुकता पैदा हो।

3. योजना का स्वरूप : सेनेटरी मार्ट एक ऐसा बाजार है जहाँ सामान्य व्यक्तियों की स्वच्छता सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यह उत्पादन केन्द्र, दुकान एवं सेवा केन्द्र तीनों रूप में कार्य करता है।

4. क्रियान्वयन : सेनेटरी मार्ट योजना जनपद के समस्त शहरी/नगरी क्षेत्रों में संचालित की जाएगी।

(क) सर्वेक्षण व चिन्हीकरण : जिले में नगरीय/शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया जाएगा, जहाँ शुष्क शौचालय प्रचलन में हैं, तथा ऐसे आवासों की भी सूची तैयार की जाएगी जहाँ पर शुष्क शौचालय हैं। तत्पश्चात उक्त शुष्क शौचालयों में कार्यरत स्वच्छकारों एवं उनके पात्र आश्रितों को उक्त पेशे से विमुक्त कराया जायेगा।

(ख) पात्रता : इस योजना के अन्तर्गत वे ही स्वच्छकार एवं उनके आश्रित लाभान्वित किए जाएंगे जो मैला ढोने के पेशे में कार्यरत हैं। मैला ढोने का तात्पर्य शुष्क शौचालयों से मानव-मल मूत्र, बाल्टियों या किसी बर्तन में ढोकर फेंकने अथवा उसे नालियों में बहाकर झाड़ू से सफाई करने वाले पेशे से है।

(ग) समूहों का गठन : चिन्हित स्वच्छकारों एवं पात्र आश्रितों की आवश्यकता एवं सुविधानुसार 10-30 व्यक्तियों के स्वयं सहायता समूह गठित किए जाएंगे।

(घ) प्रशिक्षण : समूह गठन के पश्चात् यूनिसेफ विकास संस्थान, सुलभ इण्टनेशनल आदि संस्थाओं का सक्रिय सहयोग लेते हुए, समन्वित प्रशिक्षण पैकेज तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति माह रु० 500 वृत्तिका तथा प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति माह रु० 800 प्रशिक्षण देने वाली संस्था को मानदेय के रूप में दिया जाएगा।

(च) गठित समूहों का वित्त पोषण : गठित समूह के प्रत्येक व्यक्ति को रु० 20000 की परियोजना लागत के सापेक्ष रु० 10000 प्रति व्यक्ति अधिकतम अनुदान व रु० 3000 प्रति व्यक्ति अधिकतम मार्जिन मनी ऋण की धनराशि 4% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष 7000 की धनराशि संस्थागत व वित्त के रूप में उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाएगी।

सेनेटरी मार्ट के संचालन हेतु संस्था के सभी सदस्य व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त उपरोक्तानुसार धनराशियों को समूह/समिति के माध्यम से एकत्र (पूल) करते हुए सेनेटरी मार्ट के कार्यकलापों के क्रियान्वयन में लगाएंगे।

विकलांग कल्याण-विभाग द्वारा संचालित योजनायें

1. निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को भरण-पोषण हेतु अनुदान/पेंशन

पात्रता की शर्तें

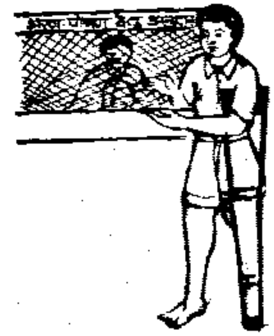

1. आयु पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 18 वर्ष से ऊपर 60 वर्ष तक।
2. आय सीमा 1000 रु० मासिक आय वाला पात्र होगा।
3. ऐसे अक्षम व्यक्ति जो जीविकोपार्जन में असमर्थ हैं तथा जो कम से कम दो अंगों से विकलांग हों जैसे- मूक/बधिर, अन्धा, दोनों हाथ किसी पर आश्रित न हो।
4. उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा किसी पर आश्रित न हो।

अनुदान की राशि- उपर्युक्त पात्रताओं को पूरी करने वाले को विभाग द्वारा रु० 127-00 प्रति माह देने का प्राविधान है।

2. कृत्रिम अंग अनुदान योजना

इस योजना के अन्तर्गत शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को विभाग द्वारा कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक अंग क्रिया हेतु अनुदान/कृत्रिम